

विषय: ग्राम अस्तल गुनालगांव, तहसील डुण्डा, जनपद उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु प्रीफैब्रीकेट आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ग्राम हिटाणु में पुनः प्रस्तावित स्थल की टोही भूगर्भीय निरीक्षण (Reconnaissance) आख्या।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी द्वारा प्रभारी सचिव, कार्यक्रम निदेशक, पी.एम०यू०,राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित पत्र संख्या 1185/तेरह-आपदा प्रबन्धन (2013) दिनांक 26 नवम्बर 2013 को प्रेषित पत्र के साथ संलग्न सूची के अनुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रदत्त मौखिक आदेश दिनांक 26 नवम्बर 2013 के अनुपालन के क्रम में दिनांक 03 दिसम्बर 2013 को ग्राम हिटाणु का स्थलीय भूगर्भीय निरीक्षण श्री सुखवीर सिंह चौहान (मो.नं.-9411199755) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि०, देहरादून के सहयोग से अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्पन्न किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

प्रश्नगत भूखण्ड, धरासू-गंगोत्री मोटर मार्ग (NH-108) पर धरासू से 09 किमी० की दूरी पर देवीघार नामक स्थान पर बाइफरकेट होने वाले देवीघार-अस्तल-रनाड़ी मोटर मार्ग पर लगभग 03 किमी० की दूरी पर मोटर मार्ग के अपहिल में भागीरथी नदी के बांये पलैंक पर ग्राम अस्तल धनारी गुनालगांव के श्री राकेश पुत्र श्री रविदत्त को ग्राम हिटाणु, पट्टी धनारी के खाता सं० 27 में खसरा संख्या 69 के रकवा 0.053 है० में से 0.013 है० रकवे की निजी नाप भूमि पर प्री-फैब्रिकेटेड आवास को पुनः प्रस्तावित किया गया है।

यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग की 1:50,000 पैमाने की टोपोशीट संख्या 531/6 में पड़ता है। भूगर्भीय दृष्टिकोण से यह भूभाग लघु हिमालय पर्वत श्रंखला के जौनसार समूह में वर्गीकृत भूभाग के अन्तर्गत है। इस स्थल एवं इसके सन्निकट में यथावत घट्टानों के एक्सपोजर्स सतह पर दृष्टिगोचरित नहीं होते हैं। भूस्थलाकृतिक दृष्टिकोण से पहाड़ी के ढलानयुक्त (sloppy) इस क्षेत्र को पूर्व में सोपानयुक्त बनाया गया है। भूखण्ड की उत्तरी सीमा पर ग्राम के आवासों को जाने वाला मोटर मार्ग है, व पूरबी अपहिल में शौचालयों का निर्माण किया गया है। उचित प्रकार से धारक दीवार के माध्यम से स्थायीत्व स्थापित करना होगा। सोपान के रूप में विकसित किया जाना होगा। भूभाग का ढलान $05^{\circ}-10^{\circ}$ की रेंज पश्चिमवत दिशा की ओर अवलोकित किया गया है। स्थल पर मुख्यतया ओवरबर्डन की मात्रा है। मुख्यतया क्वाटर्जाईट तथा फिलाइट्स के छोटे से मध्यम आकार के फ्रैगमेंट्स मिश्रित अवरथा में विद्यमान हैं। जल की निरन्तर संतृप्तता (water saturation) बने रहने के दशा में अवतलन को रोकने के उपाय करने होंगे।

सुझाव एवं शर्त:-

प्रीफैब्रीकेट भवन के स्थायीत्व हेतु पृष्ठ भाग के सोपान से प्रीफैब्रीकेटेड भवन का निर्माण यथोचित दूरी छोड़ते हुए निर्माण किया जाना होगा। अपहिल से प्रवाहित होने वाले सतही/अन्तर्सतही जल को एवं निकट अपहिल में स्थित शौचालयों के सोकपिटस से सुरक्षा हेतु सुव्यवस्थित रूप से अन्तर्सतही जल नियंत्रण किये जाने की व्यवस्था नितान्त आवश्यक होगी। प्रश्नगत भूभाग में वर्तमान में कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा है, अतः सतह पर लगभग 1.5 फीट गहराई में निरन्तर कृषि कार्य में उपयोग के कारण सतह पर सघनता (compactness) में कमी अवलोकित होती है। अतः नींव की गहराई के आकलन में इस तथ्य को सम्मिलित कर तदनुसार यथोचित गहराई तक प्रीफैब्रीकेट आवासीय भवन की नींव को स्थायीत्व-स्थिरता स्थापित रखने एवं अवतलन (subsidence) को प्रतिबन्धित करने हेतु रखा जाना नितान्त आवश्यक होगा। विकसित सोपानों के पार्श्व (मोटर मार्ग) के डाऊन लेविल में होने के कारण एवं पृष्ठ भाग में स्थायीत्व प्रदान करने में हेतु Inclined, Stepped धारक दीवारों (Retaining Walls) का निर्माण, यथोचित गहराई में नींव रखकर, आवश्यकतानुसार रंध छिद्रों (weep holes) सहित भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ से पहले किया जाना नितान्त आवश्यक होगा, अन्यथा की दशा में इस स्थल की छेद्यता (Vulnerability) में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष:-

प्रथम दृष्टया, इस भूखण्ड पर उपरोक्त सुझावों एवं शर्तों के अनुपालन के तहत प्री फैब्रीकेटेड प्रकृति के आवासीय भवन का निर्माण किये जाने हेतु भूगर्भीय दृष्टिकोण से उपयुक्त समझा जाता है।

दिनांक: 5 दिसम्बर, 2013

स्थान: कैम्प लदाड़ी, उत्तरकाशी

(दीपेन्द्र सिंह चन्द)

सहायक भूवैज्ञानिक

Mob: 8192802331

Email Id: agddn-dgm-uk@nic.in